सं0. 12011/03/2008-स्था(भत्ता)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें - संतान शिक्षा सहायता प्रदान करने तथा शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति से संबंधित निर्णयों का कार्यान्वयन ।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप और संतान शिक्षा भत्ता तथा शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति विषय पर इससे पहले के सभी आदेशों को अधिक्रान्त करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित अनुदेश जारी करती हैं :-

(क) संतान शिक्षा भत्ता तथा शिक्षा शुल्क जो अब तक अलग-अलग देय थे, विलीन कर दिए जाएंगे और अब से उन्हें 'संतान शिक्षा भत्ता योजना' के रूप में जाना जाएगा ।

(ख) संतान शिक्षा भत्ता की इस योजना के अंतर्गत सरकारी सेवकों द्वारा अधिकतम दो बच्चों तक के लिए प्रतिपूर्ति ली जा सकती है ।

(ग) उपर्युक्त यथा निर्दिष्ट प्रतिपूर्ति केवल विद्यालय जाने वाले बच्चों की ही शिक्षा पर होने वाले खर्च के संबंध में लागू होगी अर्थात् विश्वविद्यालयों या शिक्षा बोर्डों से संबद्ध जूनियर महाविद्यालयों या विद्यालयों द्वारा संचालित ग्यारहवीं और बारहवीं की कक्षाओं सहित नर्सरी से बारहवीं की कक्षाओं के बच्चों के लिए ।

(घ) संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति का अब से बच्चे की कक्षा में उसकी प्रफॉर्मेंस से कोई अन्तर्बन्धन नहीं रहेगा । अन्य शब्दों में, यदि कोई बच्चा किसी कक्षा विशेष में अनुतीर्ण भी हो जाए तो भी संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति को रोका नहीं जाएगा ।

(ड.) इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित मदों के लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है:-

शिक्षा शुल्क, प्रवेश शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, कृषि, इलैक्ट्रानिक्स, संगीत या किसी अन्य विषय के लिए वसूल किया गया शुल्क, कार्य अनुभव कार्यक्रम के तहत व्यावहारिक कार्य हेतु वसूल किया गया शुल्क, बच्चे द्वारा किसी उपकरण या यंत्र के उपयोग के लिए भुगतान किया गया शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, खेल शुल्क तथा पाठेयत्तर गतिविधियों से संबंधित शुल्क । इसमें पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक्स का एक सेट, वर्दियों के दो सेट तथा विद्यालय जाने के लिए जूतों का एक सेट शामिल है जिनका एक बच्चे के लिए एक वर्ष में दावा किया जा सकता है ।

(च) संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति की वार्षिक अधिकतम सीमा 12000/-रूपए है ।

(छ) इस योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति का दावा प्रत्येक तिमाही में एक बार किया जा सकता है । एक तिमाही में दावा की गई धनराशि 3000/-रूपए से अधिक हो सकती है तथा दूसरी तिमाही में 3000/-रूपए से कम हो सकती है बशर्ते कि वह प्रति बच्चा 12000/-रूपए की वार्षिक अधिकतम सीमा तक बनी रहे ।

(ज) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवक हैं तो उनमें से केवल एक ही संतान शिक्षा भत्ता के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति ले सकता है ।

(झ) छात्रावास परिदान (सब्सिडी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम दो बच्चों तक की सीमा के अधीन प्रति बच्चा प्रतिमाह 3000/-रूपए की अधिकतम सीमा तक की जाएगी । तथापि, छात्रावास परिदान (सब्सिडी) और संतान शिक्षा भत्ता दोनों को साथ-साथ नहीं लिया जा सकता है ।

(ट) संशोधित वेतन ढांचा में जब भी मंहगाई भत्ता 50% हो जाएगा, उपर्युक्त सीमाओं में 25% की वृद्धि स्वतः हो जाएगी ।

2. यह सुनिश्चित करने के क्रम में कि सरकारी सेवकों को प्रतिपूर्ति का दावा करने में कोई कठिनाई न हो, इस योजना के तहत प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है । अब से सरकारी सेवक द्वारा स्वयं-अनुप्रमाणन के आधार पर मूल रसीदों के प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिपूर्ति कर दी जानी चाहिए ।

3. ये आदेश 1 सितंबर, 2008 से प्रभावी होंगे ।

4. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत् व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

सिम्मी नाकरा
(सिम्मी आर. नाकरा)
निदेशक (पी. एंड ए)